.यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 41/2018

01. मीताली (नाबालिग) पुत्री महेश जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जर्ये वली माता स्वयं हेमलता पत्नि महेश जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
02. पारूल (नाबालिग) पुत्री महेश जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जर्ये वली माता स्वयं हेमलता पत्नि महेश जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
03. माही (नाबालिग) पुत्री महेश जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जर्ये वली माता स्वयं हेमलता पत्नि महेश जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
04. हेमलता पत्नि महेश जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बारां

प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. महेश पुत्र हरिशचंद जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
02. कमलेश पुत्री हरिशचंद जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
03. विद्याबाई पत्नि स्व. हरिशचंद जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
04. आयुष (नाबालिग) पुत्र पवन जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जर्ये वली माता बुद्धिबाई पत्नि स्व. पवन जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
05. रानू (नाबालिग) पुत्र पवन जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जर्ये वली माता बुद्धिबाई पत्नि स्व. पवन जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
06. बुद्धिबाई पत्नि स्व. पवन जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
07. मूलचंद पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
08. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल
09. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री अमित कुमार गौड एवं श्री विकास पोरवाल

वकील अप्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 09.08.2018

निर्णय दिनांक : 17.02.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम 1 ता 3 नाबालिक है जिनकी वली सरपरस्त स्वयं प्रार्थी कम 4 है जो उनकी माता है, एवं अप्रार्थी कम 1 की पत्नि है। अप्रार्थी कम 1 के शामलाती एवं निजी खाते की आराजी खाता संख्या 101 खसरा नं. 199 रकबा 0.70 है0, खसरा नं. 223 रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 228 रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 314 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 381 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम सीमल्या तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/4 निहित है। यह कि खाता संख्या 6 खसरा नं. 327 रकबा 1.64 है0 वाके ग्राम सीमल्या तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/2 निहित है। यह कि खाता संख्या 5 खसरा नं. 159 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम सीमल्या तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/2 निहित है। यह कि खाता संख्या 230 खसरा नं. 1012/1715 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज है। यह कि खाता संख्या 112 खसरा नं. 27 रकबा 0.32 है0, खसरा नं. 93 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 96 रकबा 0.94 है0, खसरा नं. 97 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 104 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 138 रकबा 0.

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

है0, खसरा नं. 139 रकबा 0.55 है0, खसरा नं. 140 रकबा 0.94 है0, खसरा नं. 142 रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 0.28 है0, खसरा नं. 143 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 144 रकबा 0.21 है0, खसरा नं. 145 रकबा 0.74 है0, खसरा नं. 469 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 470 रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 477 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 612 रकबा 0.66 है0, खसरा नं. 615 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 623 रकबा 0.04 है0 कुल किता 18 रकबा 6.27 है0 वाके ग्राम सीमल्या तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/15 निहित है। यह कि इसी प्रकार खाता संख्या 111 खसरा नं. 135 रकबा 1.08 है0 आराजी वाके ग्राम सीमल्या तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/15 निहित है। उक्त वर्णित आराजीयात जो अप्रार्थी कम 1 के नाम दर्ज है, पुश्तैनी व पैतृक है। उक्त वर्णित आरााराजीयात में अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज होने से वह आये दिन उक्त आराजी को बेचान करने व खुर्द बुर्द करने की धमकी प्रार्थीगण को देता है। अप्रार्थी कम 1 को शराब पीने की लत है तथा अपने खर्चे हेतु जमीन की आड में ऋण लेता रहता है। जिसके कारण उक्त वर्णित आराजी को रहन बेचान करने की धमकी देता रहता है जबकि उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी व पैतृक हक व अधिकार निहित है क्योकि संयुक्त परिवार में जन्म से ही व विवाह होने के बाद पत्नि का हक निहित होता है। इस प्रकार उक्त आराजीयात में प्रार्थी कम 1 ता 4 का स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी है। यह कि उक्त वर्णित पैतृक आराजीयात खाता संख्या 101 में प्रार्थीगण का पैतृक हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 6 में प्रार्थीगण को पैतृक हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 2/5 हिस्सा, खाता संख्या 5 में प्रार्थीगण को पैतृक हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 2/5 हिस्सा, व खाता संख्या 230 में प्रार्थीगण का पैतृक हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 4/5 निहित है व खाता संख्या 112 व 111 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/15 निहित है जिस पर प्रार्थीगण स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी व नालिसी है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त को लेकर दखल अंदाजी करता है अप्रार्थी कम 2 ता 9 को सहखातेदार होने से वाद में पक्षकार बनाये गये है जिनके विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही गई है। अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी कम 1 सीमल्या/मालबमोरी की खाता संख्या 101, 6, 5, 230, 112 व 111 को अन्य को रहन बेचान न करे ना ही अन्य प्रकार से हस्तांतरित करे। रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 09.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति का अंतरीम स्थगन जारी किया गया साथ ही अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 2 व 4 ता 8 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी कम 1 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल है। जवाब में बताया कि प्रार्थी कम 1 से 3 अप्रार्थी कम 1 की पुत्रियां तथा प्रार्थीकम 4 अप्रार्थीकम 1 की पत्नी होना स्वीकार है परन्तु उक्त वर्णित आराजी शामलाती होने से अप्रार्थी कम 1 स्वतंत्र मालिक नही बन सकता है। अप्रार्थी कम 1 ने कभी भी आराजी को रहन बेचान करने की धमकी नही दी है। रही बात ऋण लेने की, तो प्रत्येक काश्तकार अपनी आराजी पर बैंक से ऋण प्राप्त करता है। प्रार्थीगण मीणा समाज (अनुसूचित जनजाति) से होने से हिन्दू उत्तराधिकार व हिन्दू कानून लागू नही होते है। मीणा समाज में महिलाओ को आराजी में हिस्सा प्राप्त नही होता है। प्रार्थीगण अपने आपको खातेदार घोषित नही करवा सकते है केवल उपयोग व उपभोग कर सकते है उसके लिए अप्रार्थी कम 1 सहमत है लेकिन अप्रार्थी कम 4 स्वेच्छा से अप्रार्थी कम 1 के पास न रहकर पीहर में जीवन व्यतीत करना चाहती है जैसा कि वह कर रही है, अप्रार्थी कम 1 को स्वीकार नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार मृत्योपरान्त ही वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज होता है। प्रार्थीगण को किसी भी आराजी पर कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीगण खातेदार भी नही है । साथ ही अप्रार्थीगण जो कि रिकॉर्डेड खातेदार है, के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा शामलाती खाते की उक्त वर्णित आराजियात में किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजियात में रिकोर्डेड सह खातेदार है। अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थीगण 1 से 3 को पुत्री एवं प्रार्थी कम 4 को पत्नी होना स्वीकार किया है अप्रार्थी कम 1 द्वारा उक्त विवादित आराजियात को पैतृक संपत्ति होने के संबंध में अस्वीकार्यता व्यक्त नही की गई है। हालांकि अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजियात मे रिकोर्डेड सह खातेदार है, परंतु प्रार्थीगण के विवदित आराजियात (पैतृक संपत्ति) में हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के विवदित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थीगण को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। प्रार्थीगण के पैतृक संपत्ति में हक–हिस्से/अधिकारों एवं अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि उक्त वर्णित आराजी शामलाती एवं पुश्तैनी होने के कारण यदि विवादित आराजियात का रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण जो कि अप्रार्थी कम 1 के विधिक वारिसान है, को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी कम 1 उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 101, खाता संख्या 6, खाता संख्या 5, खाता संख्या 230, खाता संख्या 112 व खाता संख्या 111 में अपने हक हिस्से को रहन बेचान न करे ना ही अन्य प्रकार से स्थानांतरित करे। रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner